29.8.19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित।
स्थगन प्रा० पत्र पर अभिभाषकगण की अन्तरिम बहस
सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि वांके
ग्राम बालापुरा की आराजी ख० नं० 60 रकबा 1.01 बीघा
भूमि बन्दोबस्त जमाबंदी में गै. मु. रास्ता था जो
रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2013-14 में दर्ज है। इसी भूमि
में से 0.10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी क्रम-1 से 4 के पिता
काशीलाल उर्फ काशीराम को आवंटन कर दी गई।
सम्वत 2013-14 में गै. मु. रास्ता थी। RT Act धारा
16 के अनुसार गै. मु. रास्ता की भूमि पर आवंटन
खातेदारी नहीं मिल सकती। मेरे खेत में आने का
यही रास्ता है, जो आवंटन। नियमन कर दी गई।
जो नियम विरुद्ध है, प्रार्थी का रास्ता अवरुद्ध किया
जा रहा है। मेरी खाते की भूमि ख० नं० 58/5 है,
जिसमें जाता हूँ। पत्थर रोड़ रख मार्ग अवरुद्ध
कर दिया है। अत: अप्रार्थीगण किसी प्रकार का व्यवधान
पैदा नहीं करें। रास्ता नहीं रोके अस्थायी निषेधाज्ञा
से पाबन्द फरमावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने
बताया कि वांके ग्राम बालापुरा की आराजी ख. नं. 174/60
रकबा 0.10 बिस्वा भूमि खाते की जमीन जिस पर अप्रार्थीगण
शान्ति पूर्वक काश्त करते आ रहे है, यदि गै. मु. रास्ता
है, तो रिकार्ड पेश करें। खातेदारी मिलने के बाद आवंटन
निरस्त नहीं हो सकता है। पास की जमीन में रास्ता
है। इन्होंने रास्ता बन्द कर रखा है। यदि खाते की
भूमि के रास्ता चाहिए तो प्रार्थी 251 RT Act में
SDO के यहां कार्यवाही करें। यह भूमि 26-9-1989
को आवंटन हुई थी, खातेदार हूँ। स्थगन प्रा० पत्र
निरस्त्त करावें।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया
व स्थगन प्रा० पत्र तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों
का अध्ययन किया। उभयपक्ष की बहस सुनने
पर प्रार्थी का सुविधा का सन्तुलन, एक अपूरणीय
क्षति होना सिद्ध होता है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रथम दृष्टया उचित कारण प्रतीत होता है। अत: पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना पत्र 14(4) के निर्णय होने तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावें। पत्रावली निर्णय में फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद मूल वाद शामिल हो। (हस्ताक्षर) [illegible] जिला [illegible] [illegible] जिला [illegible] (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.07 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: